अपील Rcms-2016/00045

राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)

(बईजलास : श्री चेतन देवड़ा, आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 02/2016

दायर दिनांकः–07.09.2016
फैसल दिनांकः–24.07.2019

1. श्री राजेन्द्रसिंह पिता रामसिंह राजपुत, निवासी पादरड़ी अहाडा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0) मृतक के कायम मुकाम –
   1/1. श्री दिलिप सिंह पिता राजेन्द्रसिंह राजपुत (अवयस्क) जरिये माता श्रीमती दिनु कुंवर पत्नि श्री राजेन्द्रसिंह राजपुत
   1/2. श्रीमती दिनु कुंवर पत्नि स्व.श्री राजेन्द्रसिंह राजपुत निवासी पादरडी अहाडा तहसील व जिला डूंगरपुर

अपीलान्ट.....

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (राज0)

रेस्पोडेन्ट.....

उपस्थिति–1. श्री अल्लाहनूर मंसूरी, एडवोकेट – अपीलान्ट
2. पैरोकार सरकार – रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा – 75
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

– निर्णय –

अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 10/2015 में पारित निर्णय दिनांक 06.01.2016 जिसके द्वारा मौजा घुघरा के बिलानाम मगरी भूमि खसरा नंबर 56 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा मे से 35 X 35 फीट अर्थात करीब 2 बिस्वा भूमि में अतिक्रमण कर मकान बनाने से विध्वंश कर बेदखल करने के आदेश से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं।

प्रकरण अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा घुघरा की आराजी नंबर 56 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा किस्म बिलानाम मगरी भूमि के पास खातेदारी भूमि आराजी सं. 46 से 49, 54, 55 एवं 190 कुल किता 7 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित हैं। बिलानाम भूमि के रकबा 03 बीघा पर अपीलान्ट के पिता श्री रामसिंह पिता गंभीरसिंह का संवत् 2038 से पूर्व से ही कब्जा काश्त रहा हैं तथा इस पर पुराना मकान बना हो कृषि औजार रखने, मवेशी घर आदि के लिये काम में लिया जा रहा हैं। तहसीलदार के प्रकरण सं. 10/2015 के क्रम में नोटिस जारी होने पर अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए लगान की रसीदे, पर्या खतौनी एवं खसरा परिवर्तित निर्धारण पी–14 की प्रतियां प्रस्तुत की थी किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई ध्यान नही देते हुए निर्मित मकान को विध्वंस करने के आदेश

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

पारित करने में भारी भूल की है जिससे अपील को स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 10/2015 सरकार बनाम राजेन्द्रसिंह में पारित निर्णय दिनांक 06.01.2016 को निरस्त फरमाते हुए बिलानाम आराजी संख्या 56 की रकबा 3 बीघा भूमि पर अपीलान्ट के पिता का संवत् 2034 से काश्त कब्जा होने से रेग्यूलराईज करने का आदेश प्रदान किया जावें। अपीलान्ट ने अपने अपील मीमों के साथ अपील को समयावधि में शुमार करने हेतु अवधि अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया हैं।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की तरफ से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। अपील के दौरान अपीलान्ट की मृत्यु होने से उसके कायम मुकाम को रेकार्ड पर लिया गया। अपीलान्ट की अपील के साथ प्रस्तुत अवधि अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करते हुए अपील को अवधि में शुमार की जाती हैं।

अपीलान्ट के अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार की बहस समायत की गई। अपीलान्ट की ओर से उपस्थित योग्य अधिवक्ता ने अपने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार डूंगरपुर के नोटिस एवं निर्णय में वर्णित मौजा घुघरा की आराजी सं. 56 के पास ही अपीलान्ट के पिता श्री रामसिंह पिता गंभीरसिंह की खातेदारी भूमि खाता संख्या 203/185 के कुल किता 7 रकबा 12 बीधा 2 बिस्वा स्थित है जिससे बिलानाम आराजी संख्या 56 में अपीलान्ट के पिता का काश्त कब्जा संवत् 2038 के पूर्व से ही चला आ रहा हैं। अपीलान्ट के पिता के पुराने काश्त कब्जा की उक्त भूमि आराजी सं. 56 को अपीलान्ट ने अपने पिता की भूमि ही समझते हुए अपने कृषि औजार रखने एवं मवेशी बांधने हेतु मकान बनाया है जो पुराना बना हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा अपना विस्तृत जवाब प्रस्तुत करते हुए लगान की रसीदे, पर्चा खतौनी एवं खसरा परिवर्तित निर्धारण पी–14 की छायाप्रतियां प्रस्तुत करते हुए उक्त मकान की भूमि को नियमन करने निवेदन किया गया था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा अपीलान्ट की प्रार्थना एवं प्रस्तुत दस्तावेजात पर कोई गौर नहीं करते हुए निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट के मकान को विध्वंश करने तथा बेदखल करने का जो आदेश पारित किया गया है वह न्याय एवं नियमों के विपरित होकर निरस्त योग्य हैं। अपीलान्ट ने प्रश्नगत भूमि पर अपने पिता के पुराने कब्जे काश्त बाबत खसरा परिवर्तित निर्धारण पी–14 संवत् 2038 लगायत 2041, 2047 लगायत 2049, 2051 एवं 2056 लगायत 2058 की छायाप्रतियां प्रस्तुत की हैं जिसके अवलोकन से मौजा घुघरा की आराजी सं. 56 बिलानाम मगरी में रकबा 01 बीघा से लेकर 3 बीघा तक कब्जा रहा हैं। अपीलाधीन निर्णय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार डूंगरपुर दिनांक 06.01.2016 के अवलोकन से अपीलान्ट का मौजा घुघरा की आराजी सं. 56 रकबा 05 बीध 05 बिस्वा बिलानाम मगरी में से 35 X 35 फीट अर्थात् करीब 02 बिस्वा पर मकान बना होने से धारा–91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए मकान विध्वंश करते हुए बेदखल करने का निर्णय पारित किया हैं। अधिनस्थ न्यायालय

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

तहसीलदार डूंगरपुर के समक्ष अपीलान्ट ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए वर्णित भूमि में उसके बडे पिताजी श्री खुमाणसिंह के समय से ही विगत करीब 50 वर्षो से कब्जा चला आ रहा होना अंकित करते हुए लगान रसीदे, पर्चा खतौनी एवं खसरा परिवर्तित निर्धारण पी–14 की छायाप्रतियां प्रस्तुत की है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार डूंगरपुर ने अपने निर्णय में इसकी कोई विवेचना नहीं की हैं तथा न हीं अपीलान्ट के मकान के पुराने कब्जे बाबत तथ्यों बाबत की जांच की हैं जिससे अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्याय, नियम एवं रेकार्ड से परे पारित किया जाना पाया जाता हैं जिससे वह अपास्त योग्य ठहरता हैं। अपीलान्ट ने अपनी अपील में मकान को नियमन करने का निवेदन किया हैं।

फलतः उपरोक्त विवेचना अनुसार अपीलान्ट की अपील को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा प्रकरण सं. 02/2016 में पारित निर्णय दिनांक 06.01.2016 को अपास्त/निरस्त किया जता है तथा तहसीलदार डूंगरपुर को आदेशित किया जाता है कि अपीलाधीन भूमि पर अपीलान्ट के पुराने मकान बने होने की जांच करते हुए अपीलान्ट का मकान नियमन योग्य हो तो नियमानुसार अधिकतम तीन माह की अवधि में नियमन की कार्यवाही की जावें। तहसीलदार डूंगरपुर को निर्णय की प्रतिलिपी पालना हेतु प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की गई।

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

(चेतन देवड़ा)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner